ट्रेडमार्क इस्तेमाल से इनकार

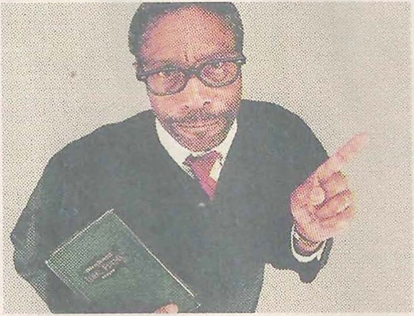

नई दिल्ली ◆ दिल्ली हाई कोर्ट ने चीन की कंपनी डबल क्वॉयन होल्डिंग्स लिमिटेड को राहत देते हुए ट्रांस टायर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को चीनी कंपनी के ब्रांड नाम डबल क्वॉयन का इस्तेमाल करते हुए टायर और ट्यूब्स बेचने से मना किया है। ट्रांस टायर्स चीन की कंपनी की सेलिंग एजेन्ट है और उसने भारत में अपने नाम से टायर्स और ट्यूब्स के लिए डबल क्वॉयन के ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अपने अंतरिम आदेश में न्यायाधीश वी के जैन ने कहा कि भारतीय कंपनी की कोई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और उसके इस काम से चीन की कंपनी के गंभीर नुकसान हो सकता है।